

पत्रांक :-3/यो.1-16/2017 (उ0शि0) 235/948

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 05/10/2023

विषय:- बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के नये परिसर का निर्माण के लिए रू0 3,48,50,00,000/- (तीन अरब अड़तालीस करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम चरण में शेष कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 5,15,37,000/- (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख सैतालीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 234/बजट दिनांक 03.10.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के नये परिसर का निर्माण के लिए रू0 3,48,50,00,000/- (तीन अरब अड़तालीस करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम चरण में शेष कार्यों के लिए रू0 5,15,37,000/- (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख सैतालीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य स्कीम के शीर्ष - "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष- BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203102BP010678 (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत धनबाद कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 234/बजट दिनांक 03.10.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-16/2017 (उ0शि0)/रॉची, दिनांक-/2023

प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-16/2017 (उ0शि0) **235/944**/रॉची, दिनांक- **05/10/**2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची /कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO1-16/2017/235/BUDGET

दिनांक - 05-Oct-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BP010678	56594	DRNEDN046	51,537,000.00
	2202 - सामान्य शिक्षा			
	03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		SRI ARUN KUMAR	रुपये पाँच करोड पंद्रह लाख सैतीस हजार
	102 - विश्वविद्यालयों को सहायता		UNDER	
	BP - उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान		SECT.HIGHER	
	01-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान		EDU.DIR.JHA.	
	06 - अनुदान		78 - पेंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	
	State Scheme			
	State Scheme :		GRANT-IN-AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, MODERNIZATION AND FURNISHING OF	
	Central Scheme :		HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS(2104)	

योग:

रुपये पाँच करोड पंद्रह लाख सैतीस हजार

51,537,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR